न्यायालय तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री हुकमसिंह, आर.टी.एस.
प्रकरण संख्या 18/2024

प्रार्थीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का बालेसर दुर्गावता, तहसील—बालेसर, जिला—जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. भीखसिंह पुत्र हेमसिंह जाति— राजपूत, निवासी—शहीद भंवरसिंह नगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भू.राजस्व अधिनियम 1956

—ः<u>निर्णय</u>ः—

दिनांक— 01 जुलाई 2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त मे मामला इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बालेसर दुर्गावता ने अप्रार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी ने राजस्व ग्राम शहीद भंवरसिंह नगर के खसरा नम्बर 239 किस्म गै.मु. पहाड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण किया है अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। हमने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया।

अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 में अप्रार्थी द्वारा पूर्वजों के समय से कब्जा होना बताया गया है। जिसमें निवासरत मकान, पशुओं के बाड़े व चारे के पन्चावे इत्यादि मौके पर मौजूद है। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दु 4 में यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा खसरा संख्या 239 पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है जो कि बिन्दु संख्या 1 व 2 का विरोधाभाष है। अप्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 239 को सरकारी भूमि नहीं होना बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना—पत्र में स्वयं द्वारा खसरा संख्या 239 पर काबिज होना बताया गया जो कि राजस्व रेकर्ड अनुसार गै.मु. पहाड़ है एवं राज. सरकार के नाम दर्ज सरकारी भूमि है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है व मौके से बेदखल करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया जाता है तथा दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुणा राशि रूपये 393 अक्षरे तीन सौ तिरानवे रूपये मात्र जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का अप्रार्थी को मौके से बेदखल करे एवं आरोपित जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष मे जमा करावें। त.रा.ले. से मांग कायम होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय भरे इजलास सुनाया गया।

वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी में श्रीमान न्यायालय अपर जिला कलक्टर जोधपुर के अपील संख्या 88/2022 आदेश दिनांक— 17.04.2023 की पालना में स्थगन आदेश का नोट लगा हुआ है। अतः न्यायालय हाजा का उक्त निर्णय श्रीमान न्यायालय अपर जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश के अनुरूप रहेगा।

तहसीलदार बालेसर

Signature valid
Digitally signed by Hukam Singh Sisodiya
Designation : Tehsildar
Date: 2025.07.01 17:22:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16257871